भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3821
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **सतत कृषि पद्धतियाँ**
3821. थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकनः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) मृदा स्वास्थ्य, भू-जल की कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और कृषि उत्पादन प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता के संबंध में बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की क्या आवश्यकता है;
(ख) किसानों के बीच जैविक खेती, कृषि वानिकी और पर्यावरणीय रूप से सतत अन्य कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई योजनाओं और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;
(ग) किसानों के लिए उत्पादकता वृद्धि, संसाधनों के संरक्षण और आय सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम प्रस्तावित हैं;
(घ) सरकार द्वारा ऐसी पद्धतियों को अपनाने के स्तर के संबंध में किए गए मूल्यांकनों के क्या निष्कर्ष निकले हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें लागू करने में किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और
(ङ) सरकार द्वारा आर्थिक व्यवहार्यता और निरंतरता को एकीकृत करने और कृषि क्षेत्र के लचीलेपन, प्रतिस्पर्धात्मकता और दीर्घकालिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए भावी नीति संबंधी क्या दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): कृषि राज्य का विषय है। सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। इन स्कीमों के तहत संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, कुशल जल उपयोग, संरक्षण कृषि, एकीकृत कृषि प्रणालियों, कृषि वानिकी, प्राकृतिक और जैविक खेती और जलवायु-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम के तहत, उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। यह उर्वरक उपयोग दक्षता में सुधार करता है और संतुलित पोषक तत्वों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। अब तक 26.18 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार प्रति बूंद अधिक फसल योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत फर्टिगेशन को भी बढ़ावा दिया जाता है। यह पानी में घुलनशील उर्वरकों को सीधे जड़ तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है, जिससे सटीक पोषक तत्व वितरण सुनिश्चित होता है। 114.60 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे लगभग 100 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में जैविक खेती को परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडीएनईआर) मिशन के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। पीकेवीवाई ने 18.93 लाख हेक्टेयर को कवर किया है, जिससे 33.63 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। एमओवीसीडीएनईआर ने 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत शामिल किया है, जिससे 2.74 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि फसलों के साथ वृक्षों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी योजना कार्यान्वित की जा रही है। गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत नई

नर्सरी की स्थापना और मौजूदा नर्सरियों में पौधे उगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत बड़ी नर्सरी (1 हेक्टेयर) स्थापित करने के लिए ₹16 लाख, छोटी नर्सरी (0.5 हेक्टेयर) के लिए ₹10 लाख और पौधे उगाने के लिए प्रति मौजूदा नर्सरी ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 3 वर्षों में 826 नर्सरी स्थापित की गई हैं और लगभग 1062.18 लाख पौधे उगाए गए हैं।प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 25.11.24 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को मंजूरी दी गई थी। यह मिशन सततता, जलवायु अनुकूलन और सुरक्षित भोजन के लिए वैज्ञानिक कृषि पारिस्थितिक दृष्टिकोण के साथ कृषि पद्धतियों को सशक्त बनाती है। एनएमएनएफ के तहत, 24,031 क्लस्टरों में 11.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिससे 24.69 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि इनपुट की तैयारी या बायो-इनपुट संसाधन केंद्रों (बीआरसी) आदि से इनपुट की खरीद के लिए 2 साल के लिए 4000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन सहायता दी जाती है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-ओएस) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं। योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन योजनाओं संबंधित परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं।

सरकार खेतों में पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करने और सतत जल संरक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यन्वयन कर रही है। हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के तहत, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई क्षमता के सृजन और पुनरूद्धार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्यों के माध्यम से जल संरक्षण कार्यकलापों को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमेय 318 कार्यों में से 110 कार्य जल सुरक्षा और संरक्षण में सुधार से संबंधित है।

नीति आयोग ने कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत, 62.46% किसानों ने जल उपयोग दक्षता या फसल उपज में पर्याप्त वृद्धि की सूचना दी। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना के तहत, 70.28% किसानों ने कृषि उत्पादकता में पर्याप्त सुधार की सूचना दी। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि सॉयल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों को अपनाने वाले 63.78 प्रतिशत किसानों ने उर्वरक उपयोग दक्षता या फसल उपज में सुधार का अनुभव किया, जबकि 68.5 प्रतिशत ने प्राकृतिक इनपुट के उपयोग के माध्यम से सॉयल हेल्थ में सुधार की सूचना दी। जैविक खेती के तहत, 75.85% किसानों ने सॉयल उर्वरता में महत्वपूर्ण सुधार, रासायनिक इनपुट लागत में कमी या बढ़ी हुई उपज की गुणवत्ता की सूचना दी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत, 90.1% किसानों ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की तुलना में इनपुट लागत में कमी की सूचना दी। यह रिपोर्ट बागवानी क्षेत्र में कृषि लाभप्रदता, आजीविका विविधीकरण और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण में एमआईडीएच के सकारात्मक योगदान पर भी प्रकाश डालती है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, रणनीतिक हस्तक्षेप से घरेलू खाद्य तेल की उपलब्धता वर्ष 2030 तक 16 मीट्रिक टन और वर्ष 2047 तक 26.7 मीट्रिक टन तक बढ़ सकती है, जिससे तिलहन में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 के मानसून पूर्व-आकलन के अनुसार, देश भर में भूजल की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। 9,085 निगरानी कुओं में से 87.8% (7,977 कुएं) सामान्य श्रेणी में आते हैं। इन निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यह उपाय कुशल जल प्रबंधन, संसाधन संरक्षण को दृढ़ करने, जलवायु अनुकूलन में सुधार करने और कृषि उत्पादन प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करने में योगदान दे रहे हैं।

सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना कृषि-जलवायु परिस्थितियों, सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और स्थानीय संसाधन एंडोन्मेंट के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। सरकार आर्थिक व्यवहार्यता के साथ सततता को एकीकृत करने और कृषि क्षेत्र के अनुकूलन, प्रतिस्पर्धात्मकता और दीर्घकालिक विकास को बढ़ाने के लिए बेहतर सिंचाई, जल संरक्षण, कुशल संसाधन प्रबंधन और जलवायु-अनुकूल हस्तक्षेपों के माध्यम से सतत कृषि पद्धतियों को निरंतर सशक्त कर रही है। जैविक और अजैविक तनावों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, कृषि क्षेत्र ने पिछले दशक में फसल उत्पादकता और समग्र कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014-15 में 252.03 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 357.73 मिलियन टन हो गया है, जबकि बागवानी उत्पादन वर्ष 2014-15 में 280.98 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 370.73 मिलियन टन हो गया है, जो देश भर में कृषि उत्पादन के अनुकूलन और सतत वृद्धि को दर्शाता है।
